Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 07/June/2024 IJRAW: 2024; 3(7):95-99 Accepted: 13/July/2024

अंतरजातीय विवाहित महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

*[1]डॉ. राजेश कुमार मीणा

*[1]सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

वैदिक युग मे यद्यपि जाति व्यवस्था नहीं थी सामाजिक संस्तरण वर्ण व्यवस्था पर आधारित था विवाह सम्बन्धों में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों द्वारा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते थें शूद्र तथा अस्पृथ्यों से खानपान तथा विवाह सम्बन्ध नहीं रखें जाते थे प्राचीन समय में अनुलोम विवाह समाज द्वारा मान्य था लेकिन प्रतिलोम विवाह के प्रति सामाजिक स्वीकृति नकारात्मक रही थी उनसे उत्पन्न सन्तानों की स्थिति भी सम्मान जनक नहीं रही वर्तमान समय में अन्तर्विवाह के स्थान पर अन्तरजातीय विवाह करने की प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है भारत में 1949 के हिन्दू वैधता अधिनियम के बनने से अनुलोम और प्रतिलोम दोनो ही प्रकार के विवाहों को वैध मान लिया गया था लेकिन देश के विभन्न हिस्सों में अन्तरजातीय विवाह करने वाले युग्मों पर समाज के सदस्यों द्वारा अत्याचार, प्रताड़ित करने एवं जाति से बहिष्कार करने की घटनायें होती रही हैं। आज भी अन्तरजातीय विवाह करने वाली स्त्री को विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं सामाजिक निन्दाओं का सामना करना पड़ता है अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 में अन्तरजातीय विवाह को पूर्ण मान्यता एवं युग्मों को संरक्षण मिलने पर भी वर्तमान समय में भी अन्तरजातीय विवाह को समाज के सदस्यों द्वारा सहज स्वीकार नहीं करने की समस्या साधारणत देखने को मिलती है।

शोध पत्र में इन सभी प्रकार की समस्याओं जैसे अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं की विवाह पश्चात प्रस्थिति एवं उत्पन्न समस्यों के अध्ययन को प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य शब्दः अन्तरजातीय विवाह, अन्तर्विवाह बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह।

प्रस्तावना

एक प्रसिद्ध कहावत है की वर–वधू की जोड़ी ईश्वर द्वारा बनाई जाती है जब स्त्री–पुरूष मिलते है और विवाह के बन्धन में बंधते है तो इसे ईश्वर की इच्छा माना जाता है विवाह पुरूष एवं स्त्री को पावन रिश्ते में बांधनें वाली पवित्र संस्था है यह इस रिश्ते को एक अर्थ प्रदान करती है।

परम्परागत दृष्टिकोण से विवाह का आदर्श अन्तर्विवाह माना जाता था अर्थात जाति के सदस्य को अपनी ही जाति में विवाह सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता था। अब अन्तर्विवाह के स्थान पर अन्तरजातीय विवाह करने की प्रवृति विकसित होती जा रही है। अन्तरजातीय विवाह (Inter-caste marriage) का अर्थ दो भिन्न जातियों के पुरूष और स्त्री में विवाह होना है। समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत में अति–प्राचीनकाल में अन्तरजातीय विवाह प्रचलित थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लेने पर अन्तर्विवाह (Endogamy) के कठोर नियम बना दिये गये।

वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं ने सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन की गति को तीव्र कर दिया है अर्थात जाति, विवाह एवं परिवार के पारम्परिक नियम–उपनियमों की व्यवस्था को परिवर्तित रूप में बनाऐ रखने के लिए वैश्वीकरण ने विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किये है। व्यक्ति संस्थाओं के प्रति अपने स्वयं के विचारों में परिवर्तन लाने लगा है। भारतीय समाज में विवाह से सम्बन्धित नियम जैसे–अन्तर्विवाह (endogamy) संबंधी नियम पहले काफी कठोर थे यह अब शिथिल व परिवर्तित होने लगें है। अनुभविक आधार पर यह कहा जा सकता

*Corresponding Author: डॉ.राजेश कुमार मीणा

है कि कस्बों शहरों एंव महानगरों में अन्तरजातीय विवाह और अन्तरधर्म विवाहों का प्रचलन बढ़ा है।

अब व्यक्ति व समाज अन्तरजातीय विवाह को सामान्य सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार करने लगें है अब जातीय सदस्य आर्थिक और राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होने लगें है। संचार साधनो का उपयोग ग्रामीण व्यक्ति भी बहुलता से करने लगा है जिससे ग्रामीण समाज व समुदाय में भी व्यक्तियों के विचार व मनोवृत्तियाँ संस्थाओं के प्रति परिवर्तित हुए है इसके प्रभाव से ग्रामीण समाज व समुदाय में भी अन्तरजातीय विवाह सम्पन्न होने लगे है।

लेकिन ग्रामीण समाज में अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने वाले कारक आर्थिक व सामाजिक प्रभुत्व है ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई प्रभुत्वशाली जाति सदस्य या उसके परिवार का कोई सदस्य अन्तरजातीय विवाह करता है तो व्यक्तियों व समुदाय द्वारा मौन विरोध द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। लोग आर्थिक व राजनैतिक प्रभुत्व के आधार पर अन्तरजातीय विवाहों का प्रतिरोध करने का निर्णय करतें है परिवारजनों की सोच. में भी परिवर्तन आया है योग्य वर–वधू के चुनाव में जाति को कम महत्व देने लगे है सामान्यतः लड़कों–लड़कियों द्वारा किया गया अन्तरजातीय विवाह परिवारजनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है सरकार द्वारा अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन व युग्मों को संरक्षण देने के लिए विभिन्न कानूनी व्यवस्था बनाई गई है।

उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं में अन्तरजातीय विवाह करने का प्रचलन बड़ा है इसका मुख्यतः कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अधिक विकल्पों का उपलब्ध कराना है इस कारण युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण परिवारजनों पर निर्भर नहीं रहते और अपने जीवन साथी के लिए भी निर्णय स्वयं लेने लगे है।

1954 का विशेष विवाह अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्मो एवं जातियों के लोगों को परस्पर विवाह की व्यवस्था तथा 21 वर्ष का लड़का 18 वर्ष की लड़की अपनी इच्छा से विवाह कर सकते है।

इन वैधानिक अधिकारों के फलस्वरूप वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था में अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला है अन्तरजातीय विवाहों के प्रति विभिन्न वर्गो की स्त्रियों का रूझान बढ़ा है । वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समानता जैसे मूल्यों के प्रति जागरूक हुई हैं।

सरकार ने 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति भी अपनाई है जिससे महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके कि वे अपने घरों के भीतर तथा बाहर पुरूषों के बराबर अपने अधिकारों का खुलकर उपयोग कर सकें।

अन्तरजातीय विवाह का प्राचीन स्वरूप

हिन्दू विवाह संस्कार की संपूर्ण प्रक्रिया में अनेक नियम भी बनाये गये थे। ये इस प्रकार है–

बहिर्विवाह (Exogamy) इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़े समूह के भीतर है जो छोटे छोटे उपसमूह होते हैं उनमें परस्पर विवाह न हों। इसके अन्तर्गत एक ही गोत्र (सगोत्र), एक ही प्रवर (सप्रवर) तथा एक ही पिण्ड (सपिण्ड) में विवाह नहीं हो सकता था। आजकल इस नियम में सगोत्र को तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया जाता है, अन्य निषेध लुप्त हो गये है।

अन्तर्विवाह (Endogamy) इसके अन्तर्गत अपने ही वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) अथवा अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक था। जो व्यक्ति अपने वर्ण या जाति से बाहर विवाह करता था, वह पाप का भागी माना जाता था। इसी अन्तर्विवाह का दूसरा नाम सवर्ण विवाह था। आजकल सवर्ण विवाह भी आवश्यक नहीं रह गये है।

अनुलोम और प्रतिलोम विवाह

1. **अनुलोम विवाहः** जब निम्न वर्ण, जाति, उपजाति अथवा कुल की लड़की का विवाह उसी के समान अथवा उससे उच्च वर्ण, जाति, उपजाति या कुल में किया जाये तो ऐसे विवाहों को अनुलोम विवाह कहते है।
2. **प्रतिलोम विवाहः** प्रतिलोम का अर्थ जब उच्च कुल, जाति अथवा वर्ण की लड़की का निम्न कुल या वर्ण के लड़के से विवाह है। डॉ कापड़िया के अनुसार एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था और इसकी घोर निन्दा होती थी।

तालिका 1: अजमेर जिले में अन्तरजातीय विवाह करने वाले युग्मों की जातिगत श्रेणी निम्न तालिका के अनुसार हैं

क्र. सं.	जातिगत श्रेणी	वर की संख्या	वर का प्रतिशत	वधू की संख्या	वधू का प्रतिशत	वर–वधू की संख्या	वर–वधू का प्रतिशत
1	सामान्य	178	40.45	210	47.72	388	44.09
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	175	39.77	151	34.32	326	37.05
3	अनुसूचित जाति	84	19.09	75	17.05	159	18.07
4	अनुसूचित जन जाति	03	0.69	04	0.91	07	0.79
	योग	440	100	440	100	880	100

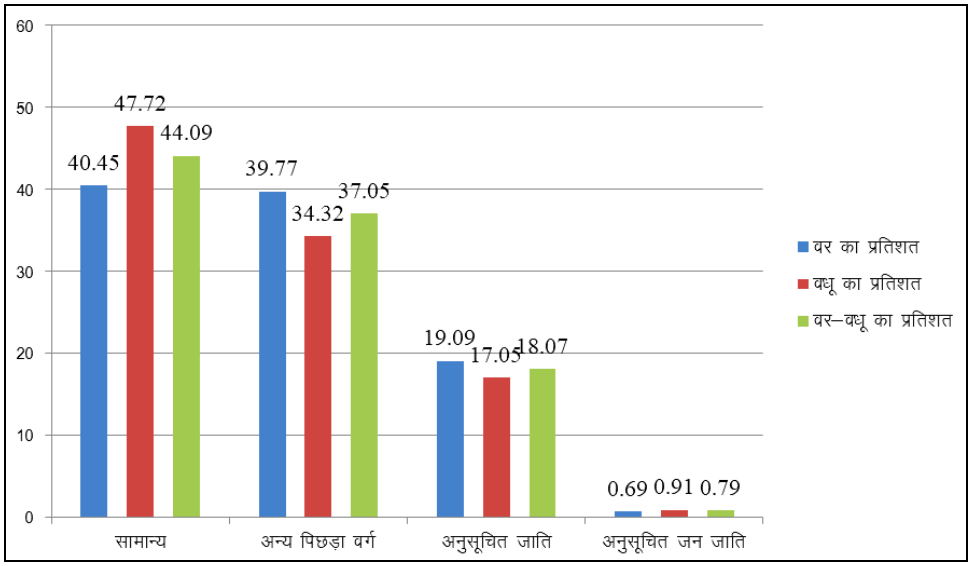

रेखाचित्र 1

उत्तरदाताओं का चयन

शोध कार्य से सम्बन्धित अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं की पहचान करने के लिए अजमेर नगर निगम के कार्यालय से विवाह पंजीयन रजिस्टर से अन्तरजातीय विवाहित युग्मों से सम्बन्धित तथ्य एकत्रित किये गयें तथा Marriage Officer Additional District Magistrate कार्यालय से सम्पर्क किया जिससे कोर्ट मैरिज से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सके साथ ही क्षेत्र का पूर्वगामी सर्वे किया गया, विभिन्न व्यक्तियों से चर्चा एवं सम्पर्क करके हिन्दू अन्तरजातीय विवाहित युग्मों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई इस कार्य के लिय अजमेर जिले की विभिन्न आर्य समाज की संस्थाओं के व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया साथ–साथ वकीलों एवं ग्रामीण क्षेत्र के पटवारियों से व्यक्तिक रूप से सम्पर्क करके अन्तरजातीय विवाहित युग्मों की पहचान की गई। अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं में से 300 महिलाओं का चयन किया गया इस प्रकार से अनुसंधान अध्ययन के लिए कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं का चुनाव करते समय हिन्दू अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं एवं पुरूषो का चयन किया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सिक्ख, जैन एवं बौद्ध सभी को हिन्दू माना गया है लेकिन कुछ उत्तरदाता जनजातियों से भी सम्बन्धित है इनका चुनाव इस कारण किया गया है कि जनजातीय लोग जाति व्यवस्था के माध्यम से हिन्दू समाज का अंग बनते जा रहे हैं जब जनजातीय लोग जातीय संस्तरण में प्रवेश करते हैं तो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। फलस्वरूप हिन्दू जाति व्यवस्था से सम्बन्धित नियमों का पालन करने लगते हैं।

शोध के उद्देश्य

1. अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं की वर्तमान सामाजिक प्रस्थिति को समझना।
2. अन्तरजातीय विवाहित (युग्मों) के प्रति समाज के दृष्टिकोण को समझना।
3. उन कारणों का पता लगाना जिनसे प्रेरित होकर अन्तरजातीय विवाह किये जाते हैं।
4. विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रति अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं का दृष्टिकोण ज्ञात करना।
5. अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं के अपने पति से विवाहोपरान्त पारिवारिक सम्बन्धों की स्थिति का पता लगाना।
6. अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं के स्वयं के परिजनों से उसके सम्बन्धों की स्थिति का पता लगाना।
7. अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं की समस्याओं को ज्ञात करना।
8. अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक समायोजन प्रस्थिति को समझना।
9. अन्तरजातीय विवाह के प्रति कानूनी ओर वास्तविक सामाजिक स्थिति में अन्तर ज्ञात करना।

अध्ययन की उपकल्पना

1. उच्च शिक्षा व योग्यवर का चयन अन्तरजातीय विवाह का प्रमुख कारण हैं।
2. परिजनों की स्वीकृति से होने वाले अन्तरजातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
3. अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं का वैवाहिक जीवन सफल होता है।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं अशिक्षित/कम शिक्षित महिलाओं की तुलना में अधिक अन्तरजातीय विवाह करती है।
5. वैवाहिक जीवन की असफलता के बाद अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं को अपेक्षित पारिवारिक सहयोग नहीं मिलता हैं।
6. अन्तरजातीय विवाह जातिवाद को कमजोर करने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।
7. अन्तरजातीय विवाहित युगल एकांकी परिवार में रहते हैं।

8. अन्तरजातीय विवाह के सन्दर्भ में जाति बन्धन शिथिल हो रहे हैं।
9. अन्तरजातीय विवाह के सन्दर्भ में पारिवारिक प्रतिरोध कमजोर हो रहा हैं।
10. विधवा और तलाकशुदा महिलाएं अधिकांश अन्तरजातीय विवाह करती है।

शोध पद्धति

किसी भी अध्ययन के लिये विषय से संबंधित गहन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है सामाजिक अध्ययनों की बुनियादी शर्त अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों का संकलन है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों एवं द्वितीयक तथ्यों दोनो को संकलित किया गया है । प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए मुख्य रूप से निम्न पद्धतियों का उपयोग किया गया है–7

1. साक्षात्कार अनुसूची
2. साक्षात्कार
3. अवलोकन

किसी भी अध्ययन में कौनसी पद्धतियों का उपयोग किया जाये यह तथ्यों के स्त्रोत व उत्तरदाताओ की प्रकृति, शैक्षणिक योग्यता तथा मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन के लिये अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं से तथ्यों को एकत्रित किये जाने के कारण साक्षात्कार तथा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्न की गंभीरता, उत्तर देने की स्वतंत्रता तथा मौलिक विचारों को जानने की आवश्यकता को ध्यान में रखतें हुए आवश्यकतानुसार खुले प्रश्न तथा बंद प्रश्नों का प्रयोग किया गया।

साक्षात्कार पद्धति में अवलोकन का भी गुण होता है साक्षात्कार के समय उत्तरदाताओं के हाव–भाव का अवलोकन करके यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदाता साक्षात्कार के समय कितना गंभीर है इस स्थिति को जानकर उन्हे वास्तविक व पूर्ण उत्तर देने के लिये प्रेरित किया गया

प्रस्तुत शोध कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुऐं अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो ही स्त्रोतों से तथ्यों का सकलन किया जायेगा प्राथमिक तथ्यों का संकलन अजमेर जिले में निवासरत अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं से किया जायेगा ऐसी 300 महिलाओं का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति से करके साक्षात्कार के सुचारू संचालन के लियें साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन विभिन्न मैरिज ब्यूरो, आर्य समाज की संस्थाओं, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा अन्त में तथ्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जायेगे।

शोध का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि इससे अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं की समस्याएं, इनके वैवाहिक जीवन की सफलता का पता लगाया जा सके तथा वर्तमान में अन्तरजातीय विवाहों में वृद्धि हो रही है इस वृद्धि के क्या कारण हैं इन्हे ज्ञात करने मे सहायक होगा।

कानून द्वारा अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है अतः अध्ययन के माध्यम से अन्तरजातीय विवाहों के लिये कानूनी स्थिति और सामाजिक वास्तविकता के बीच अन्तर पता किया जा सकता है ।

प्रस्तुत अध्ययन जाति, जातिवाद, पारिवारिक सम्बन्धों, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और महिला प्रस्थिति पर अन्तरजातीय विवाहों से क्या प्रभाव पड़ा है इन्हे ज्ञात करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।,

अध्ययन से अन्तरजातीय विवाह के प्रति सामाजिक स्वीकृति में क्या परिवर्तन आया है। इसे स्पष्ट किया जा सकेगा साथ ही प्रस्तुत अध्ययन भविष्य में अन्तरजातीय विवाह और अन्तरजातीय विवाहित महिलाओं पर बनने वाली नीतिओं नियमों के लिये भी महत्वपूर्ण दिशा सूचक होगा ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रमेश कुमार, ''समाज में जाति तथा वर्ण संबंध'' 2010, आर्या पब्लिकेशन, दिल्ली।
2. शोभा राजोरिया, ''महिला और कानून'' 2011, BLUE STAR INDORE (M.P)
3. डॉ. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन ''नातेदारी, विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र'' 2009, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. एच0 चक्रवर्ती, ''भारत में हिन्दू अन्तरजातीय विवाहः प्राचीन और आधुनिक 1999, शारदा प्रकाशन, दिल्ली
5. हरिकृष्ण रावत, ''समाजशास्त्रीय चिन्तक एवं सिद्धान्तकार'' 2001, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
6. एस0एल0दोषी, आधुनिकता, उन्तर–आधुनिकता एवं नव–समाजशास्त्रीय सिद्वान्त 2002 रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
7. डॉ. औतार लाल, '' धर्मशास्त्र–परम्परा एवं वर्तमान विधि में नारी अधिकार'' 2001 राजश्री प्रकाशन, जोधपुर (राज.)
8. प्रीति प्रभा गोयल, ''भारतीय नारी विकास की और '' 2005, राजश्री प्रकाशन, जोधपुर (राज.)
9. डॉ. सुनील आसोपा, ''सूचना का अधिकार'' 2010, एपेक्स पब्लिशिंग हाऊस, उदयपुर–जयपुर
10. वीना गर्ग, ''सामाजिक विज्ञान में शोध विधियां'' 2011, आर्या पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
11. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, ''सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी 2001, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
12. मोती लाल गुप्ता, ''भारत में समाज'' 1997, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
13. डॉ. जे. पी. पंचौरी, ''विकास एवं नियोजन का समाजशास्त्र'' 2004, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर

14. आशारानी बोहरा, ''नारी शोषणः आइने और आयाम'' 2008, नेशनल पब्लिकेशन्स हाऊस, जयपुर।
15. सेठी, राजमोहिनी, ग्लोबलाइजेशन, कल्चर एवं विमैंस डेवलपमैंट 1999, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
16. छोटाराम कुम्हार, सामाजिक न्याय की अवधारणाः परम्परा एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में VOL- VI, 2007.08 दर्शनशास्त्र विभाग, ज.ना.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
17. रामनारायण एवं नाथूलालः भारत में लैंगिक असमानता और लुप्त होती महिलाऐं, Vol-V 2006–07 दर्शनशास्त्र विभाग, ज.ना.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
18. इण्डिया टुडे, राजस्थान पत्रिका, इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स।
19. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ''विवाह पंजीयन रिकोर्ड, कार्यालय नगर–निगम, अजमेर।